

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

आ0-प्र0-01/ल0ज0स0/स्था0(क0अ0)-12/2025

100

पटना, दिनांक- 11.4.25

-:: आदेश ::-

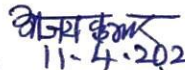
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं0-01/2019 के आलोक में कनीय अभियन्ता(असैनिक/याँत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं लघु जल संसाधन विभाग आवंटित अभ्यर्थियों को अभियन्ता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का आदेश सं0-34 एवं 35 दिनांक-31.01.2025 द्वारा कनीय अभियन्ता(असैनिक/याँत्रिक) के पद पर नियुक्त किया गया है। तदोपरान्त अभियन्ता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का आदेश सं0-115, 116, 117 एवं 118 दिनांक-01.03.2025 द्वारा विभागान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/अन्य कार्य विभागों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया गया है। उक्त आदेश की कंडिका-3 में नवनियुक्त कनीय अभियन्ताओं(असैनिक/याँत्रिक) को निदेशित किया गया है कि “नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(असैनिक/याँत्रिक) को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01(एक) माह के अन्दर पदस्थापित स्थान/प्रतिनियुक्त विभाग में योगदान देना अनिवार्य होगा”, उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

2. इसी क्रम में नवनियुक्त कनीय अभियन्ताओं द्वारा विभिन्न कारणों यथा पूर्व नियोक्ता के स्तर से त्याग-पत्र स्वीकृत/विरमण-पत्र निर्गत होने में विलम्ब, स्वास्थ्य अथवा उच्चतर शिक्षा जारी रहने के कारणों का उल्लेख करते हुए योगदान अवधि विस्तार करने से संबंधित अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया है।

3. अतः प्राप्त अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय आदेश संख्या-115, 116, 117 एवं 118 दिनांक-01.03.2025 की कंडिका-03 में अंकित योगदान करने की समय-सीमा 01(एक) माह की अवधि को अगले 01(एक) माह तक विस्तारित किया जाता है।

4. वैसे सभी नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(असैनिक/याँत्रिक) जिनके द्वारा अभी तक अपने पदस्थापित स्थान/प्रतिनियुक्त विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापित स्थान/प्रतिनियुक्त विभाग में विस्तारित अवधि में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


11-4-2025
(अजय कुमार)

सरकार के उप सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।

